वास्तविक अभिवृद्धि दरों की तुलना में भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशक लक्ष्य और उनमें अन्तर निम्नानुसार है:-

वर्ष	मुद्रा परिचालन की अभिवृद्धि दर (प्रतिशत)		
	निर्देशक लक्ष्य	वास्तविक आंकडे	अन्तर (कालम 3-2)
1991-92	13.0	19.3	+6.3
1992-93	10.4	15.7	+5.3
1993-94	14.0	18.2	+4.2

चालू वित्तीय वर्ष में 3 मार्च, 1995 तक एम-3 अभिवृद्धि दर पूरे वर्ष के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित 16 प्रतिशत के निर्देशक लक्ष्य के विपरीत 16.5 प्रतिशत है।

(ड़) और (च) इस अन्तर के अलग-अलग वर्षों में भिन्न-भिन्न कारण हैं। 1993-94 में उच्च अभिवृद्धि दर महत्वपूर्ण सीमा तक थी जो निवल विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तियों में असाधारण अभिवृद्धि द्वारा उत्प्रेरित प्राथमिक नकदी में तेजी से वृद्धि के कारण थी।

मध्य प्रदेश में बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को ऋण देना

2303. **श्री अजीत जोगी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों को लघु उद्योगों से कितने आवेदन प्राप्त हुए और इस संबंध में कितनी राशि स्वीकृत की गई;

(ख) क्या उक्त बैंकों ने आवेदकों/लघु उद्योगों को रूग्ण होने से बचाने के लिए समय पर ऋण दे दिया था;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) भारतीय रिजर्व बैंक की आंकड़ा सूचना प्रणाली से पूछे गए अनुसार सूचना प्राप्त नहीं होती। अलबत्ता, जून 1992 और जून 1993 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, मध्य प्रदेश में लघु उद्योग एककों की संख्या और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा संवितरित राशि निम्नानुसार थी:-

(करोड़ रुपए)

जून के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार	खातों की संख्या	संवितरित राशि
1992	25050	67.26
1993	28324	61.86

(ख) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को ये हिदायतें जारी की हैं कि 25,000/- रुपए की ऋण सीमा तक के आवेदन उनके प्राप्त होने की तारीख से एक पखवाड़े के अन्दर और 25,000/- रुपए से अधिक के आवेदन 8-9 सप्ताह के अन्दर निपटा दिए जाने चाहिएं। बैंकों से यह भी कहा गया है कि ऋण सीमाओं में वृद्धि करने के अनुरोधों पर शीघ्र विचार किया जाना चाहिए और निर्णय तुरंत तथा छः सप्ताह के अन्दर हर हालत में ले लिया जाना चाहिए।

Policy for Banking and Financial Institutes

2304. SHRI CHATURANAN MISHRA:
SHRI GURUDAS DAS GUPTA:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether there is interaction between banking department and Governmental financial institutions like the IFCI, IDBI, etc. to formulate Government policy with respect to implementation of objectives; and

(b) if so, the details of such interaction?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) and (b) The Government monitors the position of overall sanctions and disbursements made by financial institutions (FIs). The Government also appoints its nominee directors on the Boards of FIs. Besides, the matters of general policy nature and of common interest to FIs are discussed with Chief Executives of FIs in meetings held from time to time.

Excise Duty on Coconut Oil

2305. SHRI N. GIRI PRASAD:
SHRI GURUDAS DAS GUPTA:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government are considering a proposal to reclassify coconut oil marketed in consumer packs as hair oil with a view to imposing 50 per cent excise duty; and

(b) if so, the details and reasons there for?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.V. CHANDRASHEKHARA MURTHY): (a) and (b)